13/2/26

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वकील उप०। बहस प्रार्थना-पत्र सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड एवं दस्तावेजात का अवलोकन किया तहसीलदार नदबई द्वारा इस आशय की रिपोर्ट भिजवाई गई कि प्रकरण में संवत् 2028 का मूल नक्शा पुराने साक्ष्य के रूप में उपयोग में लिया जा रहा है, किन्तु मूल नक्शा संवत् 2028 का फटा होने के कारण स्थिति स्पष्ट नहीं है। साक्ष्य स्पष्ट न होने की स्थिति में कार्यालय द्वारा दिनांक 19.08.2025 को प्रेषित रिपोर्ट में स्पष्ट अनुशंषा नहीं की जा सकती है। प्रार्थी वकील का कहना है कि आराजी खसरा नं. 321 रकबा 0.11 चिन्हित है, लेकिन हाल के नक्शा ट्रेस मे ख. नं. 321 रकबा 0.11 एयर दर्ज होना चाहिए था। हमने बहस पर मनन किया तो पाया कि मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट स्पष्ट अनुशंषा का अभाव है। अतः प्रार्थना-पत्र सिद्ध न किये जाने के कारण खारिज योग्य है। प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 136 LR Act के तहत सिद्ध न किये जाने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रा० मुलहिज कुमार हेतु दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी